दिनांक- 07.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 26/26

# महोबा पुलिस

## महोबा पुलिस का व्यापक यातायात सुरक्षा अभियान : नियम उल्लंघन, ओवरस्पीडिंग एवं यातायात अनियमितताओं पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर सघन वाहन चेकिंग एवं प्रवर्तन अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में प्रभारी यातायात श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा मय यातायात पुलिस टीम के साथ जनपद के विभिन्न प्रमुख चौराहों, तिराहों, बाजार क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गई।

अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, तीन सवारी बैठाकर वाहन संचालन करने, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 112 वाहनों के चालान किए गए।

चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, आवश्यक दस्तावेज साथ रखने तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन संचालन हेतु प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त स्कूल वाहनों का विशेष चेकिंग अभियान चलाकर उनकी विधिवत जांच की गई, जिसमें विशेष रूप से वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट एवं आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई। जांच के दौरान कमियां पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों/वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई।

साथ ही खन्ना-कबरई हाईवे पर पहुंचकर सीसी टीम खन्ना को स्पीड राडार गन के माध्यम से ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण उपरांत स्पीड राडार गन के माध्यम से ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई कराई गई तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान किए गए।

महोबा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

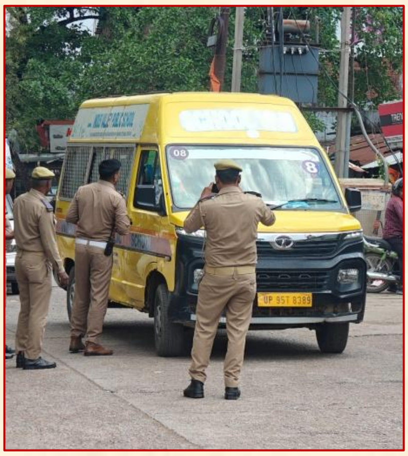

दिनांक- 07.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 27/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल कुलपहाड़- थाना पनवाड़ी

## थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित व0उ0नि0 महेंद्र कुमार वर्मा मय हमराह उ0नि0 राम किशन यादव, का0 इंद्रपाल चौहान व म0का0 शैलजा व रि0म0का0 श्वेता के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 52/26 धारा 326(g)/352/351(3) BNS व 3(1)द,ध,3(2)5,3(2)5क SC/ST Act से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.रिषभ राजपूत पुत्र राम सिंह राजपूत उम्र करीब 28 वर्ष निवासी मो0 हरिजन बस्ती क़स्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा 2.अंजुल सक्सेना पुत्र स्व0 सुशील कुमार सक्सेना उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मो0 भरमपुरा क़स्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को मेला ग्राउंड के पास थाना पनवाड़ी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 महेंद्र कुमार वर्मा 2. उ0नि0 राम किशन यादव
3. का0 इंद्रपाल चौहान 4. म0का0 शैलजा 5. रि0म0का0 श्वेता

### गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1.रिषभ राजपूत पुत्र राम सिंह राजपूत उम्र करीब 28 वर्ष निवासी मो0 हरिजन बस्ती क़स्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

2.अंजुल सक्सेना पुत्र स्व0 सुशील कुमार सक्सेना उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मो0 भरमपुरा क़स्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 07.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 28/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल कुलपहाड़- थाना पनवाड़ी

## थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सुधीर कुमार मय हमराह का0 राममिलन के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त महेश यादव पुत्र आशाराम निवासी ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 3646/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डी0) महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 सुधीर कुमार
2. का0 राममिलन

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

महेश यादव पुत्र आशाराम निवासी ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

दिनांक- 07.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 28/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल चरखारी- थाना श्रीनगर

## थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह मय हमराह का0 मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सगुनचन्द्र पुत्र अतबल सिंह उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम पवा थाना श्रीनगर जनपद महोबा सम्बन्धित प्रकीर्णवाद सं0 342/21 धारा 446 सीआरपीसी थाना श्रीनगर में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम पवा थाना श्रीनगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह
2. का0 मनोज कुमार

### गिरफ्तार अभियुक्त -

सगुनचन्द्र पुत्र अतबल सिंह उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम पवा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

दिनांक- 07.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 29/26

# महोबा पुलिस

## अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की समीक्षा हेतु न्यायालय पैरोकारों के साथ गोष्ठी की गई, दिए गए आवश्यक निर्देश।

आज दिनांक 07.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनपद महोबा के समस्त थानों के न्यायालय पैरोकारों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

बैठक के दौरान ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत मा० न्यायालय में विचाराधीन चिन्हित अभियोगों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अभियोगों में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा न्यायालय में लंबित मुकदमों की नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध कार्यवाही, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा अभियोजन पक्ष से समन्वय स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण पैरवी करने के निर्देश दिये गये, जिससे अभियुक्तों को शीघ्र एवं प्रभावी दण्ड दिलाया जा सके।

इसके अतिरिक्त न्यायालय पैरोकारों को अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव, समन एवं वारंटों की समय से तामील तथा प्रत्येक प्रकरण में सतत फॉलोअप बनाये रखने हेतु भी निर्देशित किया गया।

बैठक में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान को और अधिक प्रभावी बनाते हुए जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

इस दौरान मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मनोज शुक्ला सहित समस्त थानो के न्यायालय पैरोकार मौजूद रहे।

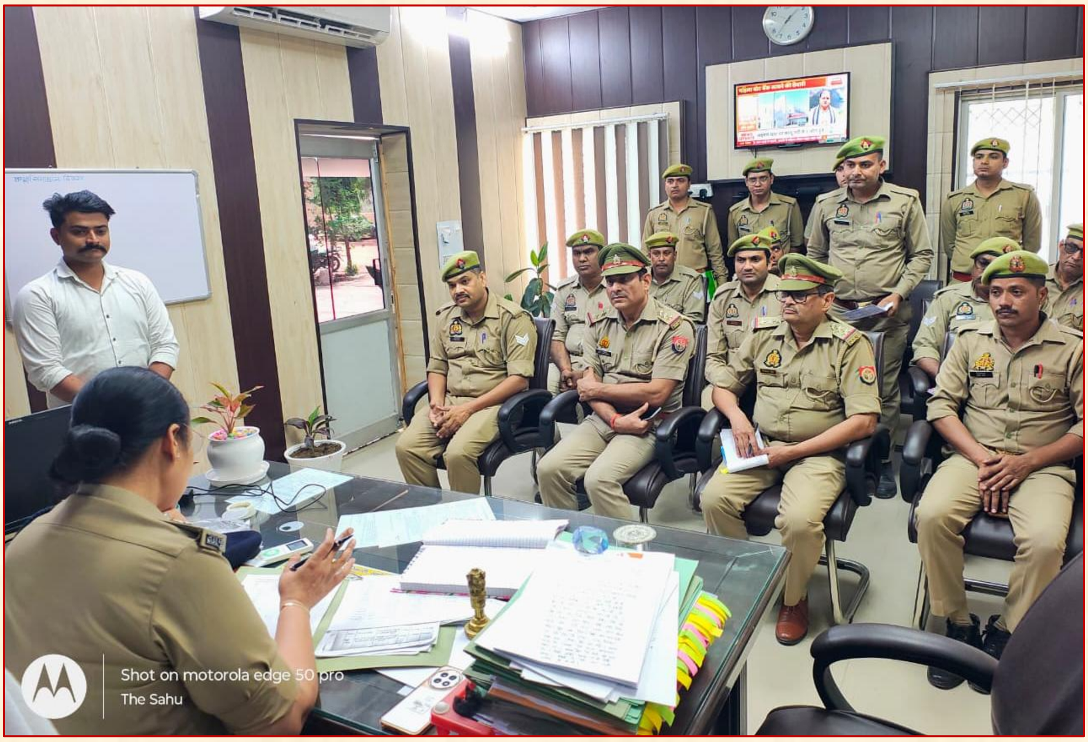

दिनांक- 07.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 28/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल चरखारी- थाना खरेला

### थाना खरेला पुलिस टीम ने

### हत्या की घटना में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्त गिरफ्तार...।

थाना खरेला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चन्दौली में सजातीय एवं एक ही गांव के दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष के 02 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान एक व्यक्ति की दुःखद मृत्यु हो गई।

प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरेला पर मु0अ0सं0 22/2026 धारा 103(1)/3(5)/191(2)/191(3)/190/109/352 बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारीगण द्वारा मय फील्ड यूनिट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

**गठित पुलिस टीम द्वारा हत्या के 06 नफर वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है —**

1. सन्तोष राजपूत पुत्र स्वामीदीन राजपूत उम्र करीब 46 वर्ष
2. नन्दकिशोर राजपूत पुत्र स्वामीदीन राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष
3. प्रवीन उर्फ मुन्ना राजपूत पुत्र सन्तोष सिंह राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा
4. उमेश रैकवार पुत्र अवधेश रैकवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कोनिया थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
5. कपिल यादव पुत्र रामसजीवन उर्फ खिल्लू, उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम इमलियाडांग थाना चरखारी जनपद महोबा
6. कुलदीप यादव पुत्र रमाशंकर यादव, उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मवइया थाना अजनर जनपद महोबा

को गिरफ्तार कर नियमानुसार जेल भेजा गया था। शेष वांछित/फरार व पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा घटना में संलिप्त 25-25 हजार रुपये के इनामी 02 नफर वांछित अभियुक्तगण—

1. मानसिंह राजपूत पुत्र नथुआ राजपूत निवासी ग्राम चंदौली थाना खरेला जिला महोबा

2.रामकिशन राजपूत पुत्र चुनटाई राजपूत निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जिला महोबा

को मुखबिर की सूचना पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम (थाना खरेला):**

1.प्रभारी निरीक्षक नन्हेलाल

2.व030नि0 शिवदान सिंह 3.30नि0 सत्येन्द्र सिंह थाना

4.कां0 दीपक कुमार मौर्य 5.कां0 अनिल सोनकर

**गिरफ्तार अभियुक्त:**

1. मानसिंह राजपूत पुत्र नथुआ राजपूत निवासी ग्राम चंदौली थाना खरेला जिला महोबा
2. रामकिशन राजपूत पुत्र चुनटाई राजपूत निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जिला महोबा

दिनांक- 07.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 30/26

# महोबा पुलिस

## मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से पारिवारिक विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान, काउंसलिंग उपरांत आपसी सहमति बनी...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में महिला सुरक्षा एवं पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।

आज दिनांक 07/05/2026 को आवेदिका श्रीमती कंचन पत्नी नंदकिशोर पासवान निवासी ग्राम बड़ेरा, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा द्वारा अपने पति नंदकिशोर पुत्र स्व० रामपाल एवं सास गंगी पत्नी स्व० रामपाल के विरुद्ध शराब के नशे में गाली-गलौज एवं मारपीट करने संबंधी शिकायत की गई थी।

प्राप्त सूचना के क्रम में दोनों पक्षों को थाना स्थानीय पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र में सम्मानपूर्वक बैठाकर काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों को समझाया-बुझाया गया।

काउंसलिंग के उपरांत आवेदिका के पति एवं सास द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद, गाली-गलौज या मारपीट न करने का आश्वासन दिया गया।

दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।

उक्त कार्यवाही मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभावी पहल एवं पारिवारिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।